



दिनांक: 19.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 46 ग्राम स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करीबिक्री की / रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में एवं अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.05.2025 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण 1. मौहम्मद अहमद पुत्र खुशनूद निवासी ग्राम खेड़ा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. आबिद पुत्र कामिल निवासी ग्राम खेड़ा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को ग्राम खेड़ा अफगान में स्थित सत्संग भवन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 46 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 156/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों मिलकर स्मैक को अपने साथी से खरीदकर आस पास के गांव में जाकर अच्छे दामों में बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। जिससे हम लोगो को गुजारा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मौहम्मद अहमद पुत्र खुशनूद निवासी ग्राम खेड़ा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. आबिद पुत्र कामिल निवासी ग्राम खेड़ा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ कुल 46 ग्राम अवैध स्मैक।

अभियुक्त आबिद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 23/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 76/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 239/22 धारा 60(1) आब0 अधि0 थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 330/22 धारा 63 आब0 अधि0 थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 438/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 267/2005 धारा 302 भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 590/2007 धारा 147/307/323/506 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 791 राजीव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

5. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।.
6. का0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 19.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 07 वारण्टी/अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.05.2025 को निम्नलिखित वारण्टी/एनबीडब्लू में वांछित अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है वारण्टी 1. सुखा पुत्र निगर निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद सं० 1278/25 धारा 60(2) आबकारी अधि० चालानी थाना नकुड़ निर्गत मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर 2. शिवलाल पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम जुड्डी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद सं० 930/18 मु० अ० सं० 563/17 धारा 138 विद्युत अधि० चालानी थाना नकुड़ निर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 04, सहारनपुर 3. दीपक पुत्र स्व जनक सिंह निवासी ग्राम खण्डवा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद सं० 856/24 धारा 147/324/325/427/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ निर्गत मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर 4. विक्रम पुत्र मोहकम निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 1223/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना नकुड़ स० पु० निर्गत मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर 5. राजीव उर्फ पप्पू पुत्र स्व करमचन्द निवासी ग्राम रामगढ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 162/15 मु० अ० सं० 512/12 धारा 138 विद्युत अधिनियम चालानी थाना नकुड़ निर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 4 सहारनपुर 6. विकास पुत्र सेरश निवासी ग्राम तिगरी रामगढ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 4769/24 मु० अ० सं० 243/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना सरसावा स० पु० निर्गत मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर 7. शादाब पुत्र नवाब निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद सं० 4697/24 मु० अ० सं० 425/20 धारा 398/401 भादवि चालानी थाना सरसावा निर्गत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर। उपरोक्त सभी गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तगण को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुखा पुत्र निगर निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. शिवलाल पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम जुड्डी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. दीपक पुत्र स्व जनक सिंह निवासी ग्राम खण्डवा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

4. विक्रम पुत्र मोहकम निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
5. राजीव उर्फ पप्पू पुत्र स्व करमचन्द निवासी ग्राम रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
6. विकास पुत्र सेरश निवासी ग्राम तिगरी रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
7. शादाब पुत्र नवाब निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री रोबिन राठी थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
5. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
6. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
7. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
8. उ0नि0 श्री विश्वेश्वर दयाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
9. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
10. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
11. है0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
12. है0का0 320 तरुण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
13. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद सहारनपुर के थानों, चौकियों व पुलिस लाईन में नियुक्त पुलिस कर्मियों को दिनांक 18.05.2025 व 19.05.2025 को रिजर्व पुलिस लाईन सहारनपुर स्थित परेड ग्राउण्ड में 02 दिवसीय दंगा नियंत्रण अभ्यास सम्पादित कराया गया, जिसमें दंगा नियंत्रण का उपयोग तथा विभिन्न प्रकार के दंगा नियंत्रण उपकरणों को चलाने का अभ्यास पुलिस लाईन के आरमोरर के पर्यवेक्षण में कराया गया। इस मौके पर श्री सिद्धार्थ वर्मा (पुलिस अधीक्षक यातायात, सहारनपुर), श्री मनोज कुमार यादव (सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाईन्स), श्री अशोक सिसौदिया (क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम), श्री शैलेन्द्र प्रताप गौतम (क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय) सुश्री प्रिया यादव (क्षेत्राधिकारी यातायात), श्री बीरेन्द्र बहादुर (प्रतिसार निरीक्षक) एवं पुलिस लाईन का प्रशिक्षण स्टाफ मौजूद रहा। इस दंगा नियंत्रण अभ्यास में 500 से अधिक पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।



दिनांक 19.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2025 को वादी श्री खालिद नौशाद पुत्र स्व० श्री शमशाद अहमद निवासी इस्लामिया इण्टर कालेज के सामने मौहल्ला हिसामुद्दीन नियर इकबाल गंन हाउस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर कि लिंकित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की स्कूटी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 131/2025 धारा 303(2) बीएनएस, पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इस घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच०एन० सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 वाहन चोर/ अभियुक्त तासीन पुत्र मुर्सलीम निवासी बाबर वाली कालोनी गली न०- 2 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की स्कूटी रजि० नं० UP22Q6512 बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले इस्लामिया इण्टर कालेज के सामने मौहल्ला हिसामुद्दीन से एक घर के सामने से चोरी की थी। आज जब मैं चोरी की स्कूटी को बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

तासीन पुत्र मुर्सलीम निवासी बाबर वाली कालोनी गली न०- 2 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 चोरी की स्कूटी रजि० नं० UP22Q6512

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच०एन० सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री पंकज शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है०का० 819 सतेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. है०का० 551 अवनीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. का० 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. का० 2427 सूरज खितौलिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा नबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.05.2025 को वादी कि लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सोनू पुत्र सोमपाल निवासी सम्भालकी जुनारदार थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहलाफुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 83/2025 धारा 137(2) /64(1) भारतीय न्याय संहिता व 3क/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घटनाओं की रकोथाम व उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिनांकी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.05.2025 को मुखबिर की सनचा पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सोनू पुत्र सोमपाल निवासी सम्भालकी जुनारदार थाना जनकपुरी सहारनपुर** को राणा स्टील तिराहे पर जाने वाली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू पुत्र सोमपाल निवासी सम्भालकी जुनारदार थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. उ0नि0 सुभाषचन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. है0का0 1115 योगेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. का0 12 टुकेश थाना गागलहेडी सहारनपुर



दिनांक: 19.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी /अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.05.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी 1. सऊद पुत्र इमरान निवासी राज कालोनी नियर जे०वी० जैन कालेज स्कूल के पीछे थाना मण्डी सहारनपुर सम्बन्धित वाद स०-606/19 मु०अ०सं० 24/19 धारा 135 वि० अधि० थाना मण्डी नियत दिनांक 14.07.2025 (मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 04 महोदय सहारनपुर) को राज कालोनी नियर जे०वी० जैन कालेज स्कूल के पास से एवं अभियुक्त 2. आकिल उर्फ अनिल पुत्र हनीफ निवासी सलमान कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर सम्बन्धित वाद स०-1216/2020 मु०अ०सं० 334/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर नियत दिनांक 17.06.2025 (मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 03 सहारनपुर) को सलमान कालोनी खाताखेड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सऊद पुत्र इमरान निवासी राज कालोनी नियर जे०वी० जैन कालेज स्कूल के पीछे थाना मण्डी सहारनपुर
2. आकिल उर्फ अनिल पुत्र हनीफ निवासी सलमान कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर

सहारनपुर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. हे०का० 192 अशोक कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का० 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. हे०का० 906 विपिन राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का० 2371 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19.05.2025 को उ0नि0 शौकीन थाना नकुड़, सहारनपुर की तहरीर बाबत अभियुक्त नवनीत उर्फ बारू सिंह पुत्र नरेश उर्फ मूसा निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा अपने फोन से सोशल मीडिया पर दलित समाज वर्ग के लोगो की भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुँचाने के इरादे से एक वीडियो पर टिप्पणी करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 157/2025 धारा 196 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अभियुक्त नवनीत उर्फ बारू सिंह पुत्र नरेश उर्फ मूसा निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को ग्राम नसरुल्लागढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नवनीत उर्फ बारू सिंह पुत्र नरेश उर्फ मूसा निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन थाना नकुड़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड़ सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.05.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी/अभियुक्त **विवेक पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम सम्भालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 6558/25 मु0अ0सं0 04/25 धारा 310(2)/317(3) बीएनएस को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विवेक पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम सम्भालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 2207 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर